रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 11, 1999/फाल्गुन 20, 1920

No. 15] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 11, 1999/PHALGUNA 20, 1920

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1999

सं०एम एफ/सी एच पी टी/55/97-टी ए एम पी.—इस प्राधिकरण की भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III—खंड 4) में राजपत्र सं० 58 से प्रकाशित दिनांक 23 नवम्बर, 1998 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में चेन्नई पत्तन न्यास के दरमानों में पुस्तिका 1 में अध्याय III के मान "ग" के अधीन नोट की मद (viii) के संबंध में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है। विद्यमान दरमान में उक्त मद सं० (viii) का विलोपन और उसके स्थान पर निम्नलिखित का प्रतिस्थापन किया जाता है:—

(viii) जब भी 20 टन से अधिक भार के पैकेजों को इस मान में शामिल बोर्ड की भारी लिफ्ट क्रेनों का प्रयोग किए बिना जहाज के अपने डैरिकों द्वारा उतारा अथवा चढ़ाया जाए तो उक्त 'ग' मान में यथा विनिर्दिष्ट दरों के 50 प्रतिशत प्रभार वसूल किए जाएंगे।

तथापि, निम्नलिखित मामलों में यह प्रभार नहीं लगाया जाएगा :

(क) ऐसे मामलों में जहां भारी लिफ्ट को डैरिकों द्वारा बार्जों में खाली किया जाए अथवा बार्जों से डैरिकों द्वारा उन पर लदान किया जाए बशर्ते बार्ज को उक्त मान के अनुसार सामान्य भारी लिफ्ट क्रेन प्रभारों का भुगतान करके बोर्ड की भारी लिफ्ट क्रेनों का प्रयोग करके खाली किया जा रहा हो अथवा लदान किया जा रहा हो।

(ख) ऐसे मामलों में जहां भारी लिफ्ट क्रेनों की यद्यपि 20 टन से अधिक भार के पैकेजों की जहाज से उतराई अथवा लदान के लिए मांग की गई हो परन्तु पत्तन न्यास द्वारा अनुरक्षण पूरी मरम्मत आदि जैसे कारणोंवश नहीं दिया जा सका हो और इसे पत्तन न्यास के मुख्य यांत्रिक इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किया गया हो तथा जब भारी लिफ्टों का जहाज अपने डैरिकों का प्रयोग करके आवश्यक रूप से जलयान से उतारा या चढ़ाया जाना हो।

(ग) यदि खाली अथवा माल से भरे कंटेनरों को जहाज अपने डैरिकों का प्रयोग करके जलयान से उतारे अथवा उनका लदान करे।

[विज्ञापन/III/IV/असाधारण/143/98]

एस. सत्यम, अध्यक्ष

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 1999

No. MF/CHPT/55/97–TAMP.—In continuation of this Authority's Notification of even number dated 23 November, 1998, published in the Gazette of India, Extraordinary (Part III—Section 4) as Gazette No. 58, the following amendment is made in the Chennai Port Trust Scale of Rates in respect of Item (viii) of the note under Scale 'C' of Chapter III in Book I. The said item No. (viii) in the existing scale of rates is deleted and substituted by the following:

(viii) Whenever packages weighing above 20 Tonnes are landed or shipped by Ship's own derricks without the use of the board's heavy lift cranes covered by this Scale, charges shall be recovered at 50 per cent of the rates as specified in the scale 'C' above.

This charge shall not however be levied in the following cases :

(a) In cases where the heavy lift is discharged by derricks into or loaded by derricks from barges subject to the barge being released or loaded by the use of the Board's heavy lift cranes on payment of the normal heavy lift crane charges as per Scale above.

(b) In cases where the heavy lift cranes though requisitioned for landing or shipment of package weighing above 20 Tonnes but could not be spared by the Trust for reasons like maintenance, overhaul repairs, etc., as certified by the Trust's Chief Mechanical Engineer and when the heavy lifts have to be landed or shipped necessarily by the use of the ship's own derricks.

(c) In case of containers either empty or stuffed with cargo landed or shipped by the use of the ship's own derricks.

[Advt./III/IV/Exty./143/98]

S. SATHYAM, Chairman

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054